

उत्तराखण्ड शासन  
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या- /XXIV-2/2018-29(04)/2013  
देहरादून: दिनांक 12 दिसम्बर, 2018  
विज्ञप्ति/पदोन्नति

कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 पत्र संख्या-345/XXX(2)/2018-1205/07 दिनांक 04.12.2018 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में कार्यरत अधिकारी श्रीमती वन्दना गर्ब्याल को शासनादेश संख्या-142/XXIV-2/2011-06(05)/2008 दिनांक 14 जून, 2011 द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के पुनर्गठित ढांचे में सृजित अपर शिक्षा निदेशक (वेतन मैट्रिक्स ₹131100-216600, लेवल-13क) के रिक्त पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


- 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती वन्दना गर्ब्याल दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी।
- 3- उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के संबंध में यदि मा0 उच्च न्यायालय में कोई याचिका विचाराधीन हों, तो उक्त पदोन्नति उक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- 4- उक्त अस्थायी पदोन्नति राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम आवंटन के अधीन होगी।
- 5- श्रीमती वन्दना गर्ब्याल, अपर शिक्षा निदेशक की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव

संख्या- 781 (1)/XXIV-2/2018-29(04)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या-345/XXX(2)/2018-1205/07 दिनांक 04.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति आदेश को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए 50 प्रति शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायें।
12. संबंधित अधिकारी।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(कवीन्द्र सिंह)  
संयुक्त सचिव